न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर (कैम्प कोर्ट तोलियासर)

मुकदमा नंबरः 54 / 2020 निर्णय दिनांक :12.10.2021

ऑनलाईन नंबरः2020 / 00103

चम्पालाल पुत्र स्व. मघाराम जाति राजपुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री ओमप्रकाश पवांर अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकाराज स्टेट की तरफ से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

यह प्रार्थना पत्र चम्पालाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ का मूल निवासी है जिसकी संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नंबर 795 तादादी 9.00 हैक्टेयर रोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित रहा है। उक्त खेत का विभाजन दिनांक 07.05.2018 को वाद संख्या 8 / 2015 चम्पालाल बनाम सीता आदि में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी ने अंतिम डिक्री से किया गया उक्त निर्णय से खसर नंबर 795 के हिस्से पांतिअ के अनुसार नये खसरे कायम हो गये जिसमें से खसरा नंबर से1047 / 795 तादादी 0.6840 हैक्टेयर रोही तोलियासर प्रार्थी के हिस्से पांति में आया। यह है कि प्रार्थी के हिस्सा मे आये खेत खसर नंबर 1047 / 795 की भूमि का नक्शा तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा सही माप तोल करके नक्शा तरमीम कर प्रार्थी का रकबा 0.6840 हैक्टेयर पुरा दर्शा दिया परन्तु मौके पर माप नही किया गया। यह है कि प्रार्थी ने वर्ष 2019 में तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के समक्ष अपने खातेदारी खेत की पेमाईश करवाने के लिए आवेदन किया तो तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमांक भू.अ. 119 / 9137 की पालना में दिनांक 06.12.2019 हल्का पटवारी तोलियासर ने प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1047 / 795 रोही तोलियासर की पेमाईश करने हेतु मौके पर पहुचा। मौके पर प्रार्थी स्वय मौजूद था। यह है कि हल्का पटवारी ने प्रार्थी के खेत का नाप किया तो मौके पर प्रार्थी की भूमि नक्शा के अनुसार सीमा ज्ञान करवाया गया परन्तु पडौसियो ने पट्टी बाड़ करने से मना कर दिया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपार्ट तैयार की गई कि आज दिनांक 06.12.2019 को श्रीमान तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ. 119 / 9137 की पालना मे रोही ग्राम तोलियासर के खसरा नंबर 1047 / 795 में पहुचा मौके पर प्रार्थी चंपालाल मौजुद था रोही ग्राम तोलियसार के खसरा नंबर 1047 / 795 तादादी 0.6840 हैक्टेयर वआ खसरा नंबर 1046 / 795 तादादी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

0.0860 का मुताबिक राजस्व नक्शा सेट के पैमाने के अनुसार जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया। मौक पर खसरा नंबर 1047/795 कर रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड 0.6840 हैक्टेयर प्रार्थी चम्पालाल की खातेदारी भूमि है परन्तु मौके पर पटवारी ने पत्थर गढी पडौसियो के मना करने पर नही करवाई ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास खेत की पेमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। यह है कि तहसीलदार श्रीडूंगरगढ राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने एवं तहसीलदार के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पेमाईश की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई है इसलिए स्टैट आवश्यक पक्षकार है। यह है कि वर्णित खेत रोही ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूगरगढ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्तें पत्थरगढी न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जो पूर्ण न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी के खसरा नंबर 1047/795 तादादी 0.6840 रोही तोलियासर श्रीडूंगरगढ की पेमाईश करवाई जाकर पत्थरगढी करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे व आदेश पालना अप्रार्थी से करवाई जावे। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नंबर 1047/795 तादादी 0.6840 रोही तोलियासर श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 1047/795 के सीमा चिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अन्यथा मौके के अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार श्रीडूंगगरढ को 1000/-रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 12.10.2021 कैम्प कोर्ट तोलियासर में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ